



# बाल अधिकार



मुझे जीने का अधिकार है।



मुझे शिक्षा का अधिकार है। किताबों, अखबार एवं अन्य संचार माध्यमों से जानकारी लेने का अधिकार है।



मुझे खेलने और आराम करने का अधिकार है।



मुझे पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाओं, और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।



मुझे अपने विचारों एवं भावनाओं के बारे में बात करने का अधिकार है।

मुझे अपनी भाषा का इस्तेमाल, अपने संस्कृति और धर्म का पालन करने का अधिकार है।



अगर मेरे साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या भेदभाव हुआ हो तो मुझे मदद का अधिकार है।



मुझे अधिकार है की धर्म, जाति, रंग, क्षमता, या किसी भी अन्य आधार पर मेरे साथ भेदभाव ना हो।

मुझे सुरक्षा का अधिकार है, हर तरह के दुर्व्यवहार से शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक शोषण से, अनुचित तरीके से लाभ उठाये जाने से, ऐसे कामों से जो मेरे स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के लिए हानिकारक हों।

छत्तीसगढ़ में बच्चों की सहायता के लिए इन हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते है :

1. चाइल्डलाइन ( पूर्ण भारत मे लागू ) : 1098
2. पुलिस और आपतकालीन सहयोग : 100/112
3. पुलिस सहायता हेल्पलाइन (टोल फ्री) : 1800-123-3010
4. व्हाट्सएप करें : 7898987848